महत्वपूर्ण एवं खास

कोतरा रोड व सारंगढ़ थाला क्षेत्र से बालिका लापता

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड एवं थाना सारंगढ़ में नाबालिग बालिकाओं के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया है। थाना कोतरारोड में दर्ज कराए गए रिपोर्ट के अनुसार थाना क्षेत्र में निवासरत 17 वर्षीय बालिका जो कक्षा आठवीं तक पढ़ी है। दिनांक 18.10.2019 के सुबह घर से दुकान जा रही हूं कहकर निकली और वापस नहीं आई है, परिजन मोहल्ले तथा जान पहचान एवं रिश्तेदारों में मोबाइल से फोन कर पता किए बालिका का पता नहीं चला है।

थाना सारंगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 515/19 धारा 363 के रिपोर्टकर्ता बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि घर परिवार के लोग दिनांक 14.10.19 को दशकर्म के कार्यक्रम में रायगढ़ गए हुए थे। दोनों भाई-बहन घर पर थे कि दिनांक 18.10.2019 की रात्रि बालिका बिना बताए घर से कहीं चली गई जिसे घर आसपास, रिश्तेदारों में पता तलाश किए, पता नहीं चलने पर दिनांक 21.10.2019 को थाना सारंगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

चक्रधरनगर पुलिस ने दो जुआ फडो से 8 आरोपियों को पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर टाउन पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा अंबेडकर आवास चक्रधरनगर के पास खुले स्थान में 52 पत्ती तास से जुआ खेल रहे दो जुआ फड पर रेड किया गया, इस दौरान जुआड़ियान (1) संजू उर्फ सचिन सारथी पिता हरि सारथी उम्र 21 वर्ष (2) सोनू सारथी पिता हरि सारथी उम्र 31 वर्ष (3) विशाल गुप्ता पिता रामदेव गुप्ता उम्र 19 वर्ष (4) इकरामुल हक पिता सफिक उलहक उम्र 18 वर्ष के फड एवं पास से जुमला रकम 1500 रू., 52 पत्ती तास जप्त किया गया है।

एक अन्य जुआ फड से जुआड़ियान (1) पिन्टू देवांगन उर्फ दुर्गेश पिता रमेश देवांगन उम्र 26 वर्ष (2) प्रवीण गायन पिता प्रवास गायन उम्र 28 वर्ष (3) अंशु जाल पिता ललित जाल उम्र 22 वर्ष (4) पास्कल तिर्की पिता दोमनिक तिर्की उम्र 22 वर्ष पकड़े गये जिनके फड एवं पास से जुमला रकम 1600रू., 52 पत्ती तास एवं एक बोरी फट्टी को जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 4 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सम्बलपुरी, पंडरीपानी पूर्व (उरांवपारा) एवं कुलबा मंजुरीपाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु एक-एक पद रिक्त है। इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन 4 नवम्बर 2019 तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते है। इस संबंध में अर्हता तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

बायोमेडिकल वेस्ट संबंधी प्राधिकार प्राप्त करने संबंधी आ रही परेशानियों के निराकरण हेतु एक दिवसीय कैम्प 24 अक्टूबर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं छ.ग. द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य के समस्त निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम/क्लीनिक/पैथलॉजी लैब में बायोमेडिकल वेस्ट संबंधी प्राधिकार प्राप्त करने संबंधी आ रही परेशानियों के निराकरण करने हेतु दिनांक 24.10.2019 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर रोड, रायगढ़ में 01 दिवसीय कैम्प का आयोजन किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से रायगढ़ जिले के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के संचालकों का प्राधिकार प्राप्त करने संबंधी उत्पन्न हो रही परेशानियों का निराकरण किया जायेगा।

आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 28 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पतरापाली पश्चिम-01, उर्दना पुलिस लाईन, उर्दना डीपापारा, धनांगर-4, जामपाली-1, रेगड़ा-2, रेगड़ा-3 एवं बनोरा खैरपाली में सहायिका पद के लिए गत दिवस आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों के जांच उपरांत प्राविधिक एवं अनंतिम सूची कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी आवेदिका को कोई आपत्ति हो तो वह 28 अक्टूबर सायं 5 बजे तक लिखित में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)कार्यालय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।

रायगढ़ के रियापारा में आउटरीच कैम्प का आयोजन 24 अक्टूबर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरों के स्लम बस्तियों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से प्रतिमाह स्पेशल आउटरीच कैम्प का आयोजन किया जाना है। इसी तारतम्य में रायगढ़ शहरी क्षेत्र के रियापारा में 24 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 बजे से सायं 4 बजे तक आउटरीच कैम्प का आयोजन किया जाएगा। कैम्प में एमडी चर्मरोग विशेषज्ञ डॉ.नवल पटेल, चिकित्साधिकारी डॉ.काकोली पटनायक, दंत चिकित्सक डॉ.विवेक उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट डॉ.सोनिया स्वर्णकार, नेत्र सहायक अर्जुन बेहरा चिकित्सकीय कार्य हेतु मौजूद रहेंगे। साथ ही फार्मासिस्ट साखीराम पटेल, लैब टेक्नीशियन नीरज यादव, सुपरवाईजर श्रीमती पी.एल.पाणिग्राही एवं श्रीमती रेखा सेन गुप्ता, एएनएम कु.पूजा मेहरा, एएनएम कु.शकुन्तला एक्का एवं पदमलोचन सिदार उपस्थित रहेंगे।

वृद्ध दम्पत्ति की धारदार हथियार से हमला, इलाके में मची सनसनी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा में ग्राम कुपाकानी चिक्टाखार सतरंगी में मकान पर दो वृद्ध महिला-पुरुष का शव मिलने की सूचना मिला। सूचना पर एडिशनल एसपी रायगढ़, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धर्मजयगढ़, थाना प्रभारी लैलूंगा व उनका स्टाफ मौके पर पहुंचे। मृतक के लड़के काशीराम यादव उम्र 42 साल निवासी कुपाकानी ने बताया कि मृतक मनकू राम यादव उम्र 75 साल उसका पिता तथा मृतिका रुखमणी यादव उम्र 70 साल उसकी माता है। काशीराम यादव

ने बताया कि इनका कुपाकानी के चिक्टाखार सतरंगी में भी है। वहां की जमीन पर एक मकान बनाए हैं। माता पिता गांव घर तथा चिक्टाखार के मकान में प्रतिदिन आना जाना करते थे शाम रात वहां भी रूक जाया करते थे। आज दिनांक 22.10.2019 के सुबह गांव का पुरूषोत्तम यादव, मनकू राम (मृतक) के बीते रोज बुलाने पर चिक्टाखार मकान गया तो देखा मकान के पछी में मनकू यादव तथा मकान के अंदर रुखमणी यादव मृत हालत में पड़ी थी दोनों के गले में चोट का निशान है कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला में मारकर दोनों की हत्या कर भाग गया था। रिपोर्टकर्ता काशीराम के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 233/19 धारा 302 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

जिला न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 200 के 18 प्रकरणों का निराकरण

» मध्यस्थ द्वारा दिए गए अवार्ड को अपास्त किया गया

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-200 (नया रा.रा.क्र.-49)पर (बिलासपुर-उर्दावल सेक्शन) 238.500 किलो मीटर से 310.900 किलो मीटर तक की भूमि का चौड़ीकरण/चार लेन बनाने हेतु भिन्न-भिन्न ग्रामों से भूमि अर्जन की गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गई। आपत्तियों का निराकरण किया गया तथा अर्जन की जाने वाली भूमि की प्रकृति अर्थात सिंचित, असिंचित, व्यपवर्तित दो-फसली, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई भूमि के आधार पर उसका मूल्य अवधारित किया गया साथ ही साथ प्रभावित होने वाली अन्य परिसम्पत्तियों जैसे भूमि पर निर्मित मकान, ट्यूबवेल, वृक्ष इत्यादि का मूल्यांकन कर उसका अंतिम मूल्य निर्धारित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर भिन्न-भिन्न भूमिस्वामियों के द्वारा मध्यस्थ के समक्ष आवेदन पेश किया गया।

मध्यस्थ के द्वारा अवार्ड पारित किया गया और इस अवार्ड के विरूद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जिला न्यायाधीश रायगढ़ के समक्ष अवार्ड को अपास्त किए जाने हेतु माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा-34 के अंतर्गत आवेदन पेश किया गया जिसमें 18 अक्टूबर 2019 को 18 प्रकरणों का निराकरण हुआ और मध्यस्थ द्वारा दिए गए अवार्ड को अपास्त किया गया।

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में लोगों को लुभा रहे हैं छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद

» छत्तीसगढ़ी व्यंजनों और मसालों के भी लगाए गए हैं स्टाल

» पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव टी.सी. महावर ने किया स्टॉलों का अवलोकन

रायपुर (आरएनएस)। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद लोगों को लुभा रहे हैं। वहां छत्तीसगढ़ी व्यंजनों और मसालों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव टी.सी. महावर ने 21 अक्टूबर को वहां प्रदेश के आठ स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हस्तशिल्पियों और कारीगरों से बात कर इन उत्पादों की बिक्री एवं लोगों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी ली। नई दिल्ली में 10 अक्टूबर से शुरू राष्ट्रीय सरस मेला 23 अक्टूबर तक चलेगा। वहां देश के सभी राज्यों के स्टॉल लगे हुए हैं। इसका आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया गया है। प्रदेश के बिहान स्वसहायता समूह द्वारा यहां छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की बिक्री की जा रही है, जिन्हें मेला देखने आने वाले और खरीदार काफी पसंद कर रहे हैं। यहां कोरिया जिले के किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के मसाले भी बेचे जा रहे हैं। सरस मेले में बेल मेटल, लौह शिल्प, टेराकोटा और काष्ठ शिल्प उत्पादों के साथ ही हथकरघा से बने वस्त्र प्रदर्शन-सह-विक्रय के लिए रखे गए हैं।

नर्सिंग के स्टूडेंटों को दी गई घरेलू हिंसा व सायबर क्राईम की जानकारी

» टीआई जूटमिल ने महिलाओं को दी ठगी व घरेलू की जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा द्विवेदी एवं महिला सेल स्टाफ थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत स्थित कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जागरूकता कार्यक्रम के लिये पहुंचे। डीएसपी श्रीमती गरिमा द्विवेदी द्वारा नर्सिंग की छात्राओं को घरेलू हिंसा के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया गया। उन्होने बताया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न आदि के मामले इसी कानून के तहत आते हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में अलग कानून है लेकिन उसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होने वर्तमान समय में हो रहे सायबर क्राईम एवं उनके बचाव के उपाय की जानकारी दी और छात्राओं को किसी अनजान व्यक्तियों के फ्रेण्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न करने की सलाह दी। सोशल मीडिया, इंटरनेट के उपयोग पर सावधानी बरतने को कहा गया।

ग्राम बड़माल में टी.आई. जूटमिल द्वारा गांव की महिलाओं की बैठक लेकर उन्हें एटीएम ठगी, ओटीपी शेयर, लिंक शेयर, लोन के नाम से ठगी, सोना चांदी साफ करने के नाम पर ठगी, फेरी करने द्वारा किये जाने वाले अपराधों के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होने बताया कि चोरों के निशाने पर अकसर सुने मकान होते हैं, ऐसे में सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने के लिए घर परिवार के लोगों को प्रेरित करें। चौकी प्रभारी अंजना केरकेट्टा द्वारा उपस्थित महिला को घरेलू हिंसा के संबंध में जानकारी दिया गया तथा किसी प्रकार की समस्या होने पर उनके शासकीय अथवा निजी मोबाईल नम्बर पर अवगत कराने के लिए गोली साथ ही उन्होंने घर परिवार के लोगों को नशे से दूर रखने तथा सामाजिक बुराइयों जुआ, शराब, सट्टा आदि की सूचना तत्काल चौकी जूटमिल अथवा डायल 112 में दिए जाने की समझाइश दी गई है।

कुसमुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में एडिशनल एसपी डॉ राजेंद्र प्रसाद भैया द्वारा उपस्थित छात्राओं को लैंगिक अपराधों के संबंध में पास्को एक्ट के कानूनी प्रावधानों को विस्तार से बताया गया। बालिकाओं को गुड टच, बैड टच के संबंध में जानकारी दी गई एवं मानव तस्करी के अपराध के संबंध में विस्तार से बताया गया। एएसपी भैया ने बताया कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति के किसी प्रलोभन एवं झांसे में न पड़े ऐसे व्यक्ति की जानकारी अपने परिजन एवं पुलिस को देने की समझाइश देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन 181, अपातकालिन नम्बर डायल 112, थाने के मोबाइल नंबर में देने को बोले। यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताये कि स्कूल आते-जाते समय यातायात नियमों का पालन करें। इसी प्रकार मोबाइल से होने वाले अपराधों एवं ठगी के संबंध में जानकारी दी गई तथा बच्चों को अपने घरों में अपने माता, पिता, भाई परिवार के लोगों को किसी अनजान व्यक्ति के मोबाइल में एटीएम कार्ड के पिन, ओटीपी नंबर मांगे जाने पर नहीं देना है। बैंक खाते और आधार कार्ड की जानकारी किसी अन्य से शेयर न करें, समझा गया।

ग्राम गौठान समिति का होगा गठन- कलेक्टर

» गौठान में संसाधन विकसित करने के लिए बनायी जायेगी कार्ययोजना

» गौठान प्रबंधन एवं संचालन विषय पर जिला पंचायत में प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन अन्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वाकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की उपस्थिति में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में गौठान प्रबंधन एवं संचालन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायपुर की राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर स्टेट सेल मनरेगा मनजीत कौर ने सभी जनपद सीईओ, वन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन, उद्यान विभाग, आरईएस, अधिकारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण विस्तार अधिकारी तकनीक सहायक को प्रशिक्षण दिया गया।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि गौठान की योजना का जिला में बेहतर क्रियान्वयन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चारागाह को 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ में विकसित किया जा सकता है। ताकि पशुओं के लिए चारागाह में और संसाधन विकसित किया जा सके। नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी कार्यक्रम के तहत पशुओं के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गौठान बनाया गया है। जिले में अब गौठानो को व्यवस्थित और संचालित करने के लिए ग्राम गौठान समिति का गठन किया जाएगा। समिति में न्यूनतम 8 या अधिकतम 13 सदस्य शामिल हो सकते हैं। साथ ही समिति में महिलाओं को भी अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। समिति गौठान अपने ग्राम पंचायत स्तर पर वास्तविक कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि जिसका प्रस्ताव ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा में प्रस्तुत कर अनुमोदन लिया जाएगा।

मास्टर ट्रेनर मनजीत कौर ने बताया कि गौठान में पशुओं के संसाधन के रूप में पानी, बिजली, शेड, महिलाओं के लिए, प्रसाधन व्यवस्था, पैरा कुटी मशीन, चरवाहा कक्ष, पशु चिकित्सा की आवश्यक व्यवस्था परिचालन संबंधी विषयों की कार्ययोजना तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौठान के अंतर्गत संचालित ग्रामीण उद्योग से संबंधित समस्त उत्पादन एवं सेवाओं के लिए उत्पादन व विपणन कार्ययोजना तैयार किया जाएगा। इस कार्य के सार्थक संचालन के लिए पर्याप्त वातावरण तैयार कर युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं अन्य वर्ग के ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ायी जाएगी। प्रशिक्षण बताया गया कि गौठान प्रबंधक की भूमिका, गौठान की सफाई, गौठान में अन्य सामग्रियों को उपयोग, मवेशियों को चारा और पानी देना है। गौठान का गोबर गौठान समिति का होगा और गोबर की व्यवस्था के संबंध में गौठान समिति को ग्राम सभा की सहमति से निर्णय लेना होगा। कार्यशाला में अधिकारियों के शंका एवं समस्याओं का समाधान भी किया गया।

जाति मामले में जोगी को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

» राष्ट्रीय अजजा आयोग की याचिका खारिज

» अगली सुनवाई तक जोगी का विधायक पद यथावत रहेगा

रायपुर (आरएनएस)। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जाति मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की याचिका को खारिज करते हुए उनके विधायक पद को अगली सुनवाई 6 नवंबर तक यथावत रखा है।

बिलासपुर हाईकोर्ट में आज अजीत जोगी की जाति संबंधित प्रकरण पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और दो अन्य व्यक्तियों की हस्तक्षेप याचिका पर अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त तीनों श्री जोगी के जाति-संबंधित प्रकरण में 'आवश्यक पक्षकार' की श्रेणी में नहीं आते है। अतः वे प्रकरण के तथ्यों से संबंधित कोई भी दलील नहीं कर पाएंगे और न ही कोई दस्तावेज या अन्य कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर पाएंगे। उनकी भूमिका केवल इस संबंध में न्यायिक स्थिति को स्पष्ट करने और विधिसम्मत न्यायिक सिद्धांतो को न्यायालय के समक्ष रखने तक ही सीमित रहेगी। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आपत्ति को सिरे से खारिज करते हुए न्यायालय ने आदेशित किया कि जो पूर्व में 4 सितम्बर 2019 को श्री जोगी को उनकी विधायकी-सम्बंधित अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी, वो मामले की 6 नवम्बर 2019 को अगली सुनवाई तक यथावत रहेगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.वी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लांट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480